

न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 361/2020 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बनाम 1. देवीसिंह पिता जोरावर सिंह राजपूत निवासी
माण्डलगढ जिला भीलवाडा जोजवा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

—प्रार्थी

—विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 17 (अ) राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 14.06.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 17 (अ) राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 विपक्षी के विरुद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम जोजवा की आ.न. 2534/2272 कुल रकबा 1.10 बीघा भूमि को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटनी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटनी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटनी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 10.10.2019 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 06.07.2020 को देने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी अधिवक्ता की ओर से जवाब पेश नही किया गया। दौराने बहस विपक्षी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम जोजवा की आ.न. 2534/2272 कुल रकबा 1.10 बीघा भूमि को



अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम जोजवा के आ.न. 2534/2272 कुल रकबा 1.10 बीघा भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा भू आवंटन नियम 68 की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 17 (अ) राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव—

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 17 (अ) राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम जोजवा के आराजी नं. 2534/2272 कुल रकबा 1.10 बीघा भूमि आवंटन को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार माण्डलगढ को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम जोजवा की आ.न. 2534/2272 कुल रकबा 1.10 बीघा भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डलगढ को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भिलवाड़ा